अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 5/2015-सेवा कर

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर नियम, 1994 में,--

(क) नियम 2 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(कक) "समूहक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो वेब धारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग का स्वामी है और उसका प्रबंधन करता है तथा उसके अनुप्रयोग और किसी सूचनायुक्ति के माध्यम से किसी संभावित ग्राहक को किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के साथ समूहक के ब्रांड नाम या व्यापार नाम के अधीन जुड़ने में समर्थ बनाता है ;'

(ii) खंड (खग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(खगक) "ब्रांड नाम या व्यापार नाम" से ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिह्न जैसे कि कोई खोजा गया शब्द या लेख या कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लोगो, लेबल, हस्ताक्षर जिसका उपयोग उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है या ऐसे किया जाता है जिससे किसी व्यापार के प्रक्रम में किसी सेवा और कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति की पहचान के प्रति किसी उपदर्शन के साथ या उसके बिना नाम या चिह्न का उपयोग कर रहा है, किसी संबंध को उपदर्शित किया जाए;'।

(iii) खंड (घ) में, उपखंड (i) में,--

(I) मद (कक) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

-

'(ककक) किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रदान की गई सेवा या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई सेवा जिसमें कोई समूहक अन्तर्वलित है, सेवा का समूहक:

परन्तु यह कि यदि समूहक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है तो किसी प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में समूहक का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि यदि समूहक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है और किसी भी प्रयोजन के लिए उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो समूहक सेवा कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।';

(II) मद (ङ) में, ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, "सहायता" शब्द का लोप किया जाएगा;

(III) मद (ङङ) के पश्चात् निम्नलिखित मदें 1 अप्रैल, 2015 से अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

"(ङङक) किसी पारस्परिक निधि अभिकर्ता या वितरक द्वारा किसी पारस्परिक निधि या स्ति प्रबंधन कंपनी को उपलब्ध कराई गई सेवा या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमत की गई सेवा के संबंध में, सेवा का प्राप्तिकर्ता ;

(ङङख) लाटरी टिकटों के विक्रय या लाटरी टिकटों के विपणन अभिकर्ता द्वारा लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को उपलब्ध कराई गई सेवा या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमत की गई सेवा के संबंध में, सेवा का प्राप्तिकर्ता ;";

(ख) नियम 4 में,--

(i) उपनियम (1अ) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(9) इस नियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण ऐसी शर्तों, रक्षोपायों और प्रक्रिया के अधीन होगा जो बोर्ड द्वारा जारी किसी देश द्वारा विहित किए जाएं ।"

(ग) उक्त नियमों में नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:--

"(4इ) अंकीय हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणन,--

(1) नियम 4अ के अधीन जारी बीजक, बिल या चालान या नियम 4 के अधीन जारी परेषण टिप्पण को अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जा सकेगा ।

(2) बोर्ड, अंकीय रूप से हस्ताक्षरित बीजक जारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अनुसरण की जानी वाली शर्तों, रक्षोपायों और प्रक्रिया को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(घ) नियम 5 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(4) इन नियम के अधीन अभिलेख इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखा जाए और इस प्रकार रक्षित अभिलेख के सभी पृष्ठ को अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा निर्धारिती द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित अभिलेखों को रखने में अपनाई जाने वाली शर्तों, रक्षोपायों और प्रक्रिया का विनिर्देश कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के नियम 4 (ग) और उपनियम (4) और (5) प्रयोजनों के लिए,--

(i) "अधिप्रमाणित" पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है;

(ii) "अंकीय हस्ताक्षर" पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है और "अंकीय हस्ताक्षरित" पद का तदनुसार अर्थ होगा ; ";

(ङ) नियम 6 में, --

(i) उपनियम (6क) का उस तारीख से, जिस तारीख को वित्त विधेयक, 2015

को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लोप किया जाएगा;

(ii) ऐसी तारीखों से जिनको केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,--

(क) उपनियम (7) में प्रविष्टि "0.6%" और "1.2%" के स्थान पर, क्रमशः "0.7%" और "1.4%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) उपनियम (7क) में, खंड (ii) में "3%" और "1.5%" प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "3.5%" और "1.75%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ग) उपनियम (7ख) में,--

(i) मद (क) में, "0.12%" और "30 रूपए" प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "0.14%" और "35 रुपए" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) मद (ख) में, "120 और 0.06%" प्रविष्टि के स्थान पर, "140 और 0.07%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) मद (ग) में, "660 और 0.012%" तथा "6,000 रु0" प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "770 और 0.014%" तथा "7,000 रु0" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(घ) उपनियम (7ग) में,--

(अ) सारणी में के स्तंभ (2) में,--

(i) क्रम सं0 1 के सामने, "7000" अंकों के स्थान पर "8200" अंक रखे जाएंगे;

(ii) क्रम सं0 2 के सामने, "11000" अंकों के स्थान पर, "12800" अंक रखे जाएंगे;

( ) स्पष्टीकरण में, मद (i) का उस तारीख से, जिस तारीख को वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लोप किया जाएगा;

[फा.सं. 334/5/2015-सेवा कर]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 2/1994-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 23/2014-सेवा कर, तारीख 5 दिसम्बर, 2014 द्वारा सा.का.नि. 872(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।